NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2017

No. 20/2017 – Central Tax

G.S.R. 996(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the return under sub-section (1) of section 39 of the said Act for the month as specified in column (2) of the Table below, within the period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

Serial Number	Month	Time period for filing of details in FORM GSTR-3
(1)	(2)	(3)
1.	July, 2017	11th to 15th September, 2017
2.	August, 2017	26th to 30th September, 2017.

2. This notification shall come into force with effect from the 8th day of August, 2017.

[F. No.349 /74 /2017-GST(Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2017

सं. 21/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि.997(अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी, प्ररूप-जीएसटीआर-3ख में इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट तारीखों से पूर्व दी जाएगी, अर्थात्:--

सारणी

क्रम सं.	मास	जीएसटीआर-3ख फाइल किए जाने की तारीख
(1)	(2)	(3)
1	जुलाई, 2017	20 अगस्त, 2017
2	अगस्त, 2017	20 सितंबर, 2017

2. यह अधिसूचना 8 अगस्त, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 349/74/2017-जीएसटी (भाग)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव